(196)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम.के. सिंह,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 534-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-4-2006 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 354/स्वमेव निगरानी/94-95.

---

1. दीपक पुत्र श्री महेन्द्र आयु लगभग 36 वर्ष
   निवासी ग्राम ग्यारसपुर तहसील ग्यारसपुर
   जिला विदिशा
2- श्रीमती गीता बाई पुत्री स्व0 श्री कमल सिंह
   आयु लगभग 80 वर्ष
   निवासी ग्राम छीपनी गंज बासौदा, जिला विदिशा
3- श्रीमती कीर्ति बाई पत्नी श्री संदीप
   आयु लगभग 42 वर्ष पुत्री श्री प्रताप सिंह
   निवासी ई-6-24 अरेरा कॉलोनी, भोपाल
4- श्रीमती आरती पत्नी श्री रीतेश एवं पुत्री श्री प्रताप सिंह
   आयु लगभग 38 वर्ष निवासी LIGP-9 थाने के पास
   टीला जमालपुरा तहसील हुजुर जिला भोपाल ..... आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन ..... अनावेदकगण

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.

श्री बी0एन0 त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक (शासन).

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31 - 5 - 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल

अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 354/स्व0 निगरानी/94-95 में पारित आदेश दिनांक 4-4-2006 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19-5-1979 को कलेक्टर, विदिशा को प्रतिवेदन पेश किया गया कि ग्राम ग्यारसपुर की भूमि सर्वे नंबर 373 हाल नंबर 519 रकबा 12.103 हैक्टर तालाब मानसरोवर की भूमि को पटवारी द्वारा संवत 2013 में तथाकथित पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी दर्ज किया गया है । उनके द्वारा पट्टे को फर्जी बताते हुए प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, विदिशा द्वारा दिनांक 8-7-1983 को प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आवेदकों को नोटिस जारी किये गये । सूचना पत्रों का आवेदकों की ओर से उत्तर प्रस्तुत किया गया । उत्तर प्राप्त होने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण वर्ष 1996 तक लंबित रहा । आदेश पत्रिका दिनांक 22-6-96 के अनुसार यह प्रकरण संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त को अंतरित हुआ वर्ष 2003 तक यह प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में बिना किसी कार्यवाही के लंबित रहा अपर आयुक्त ने आदेश पत्रिका दिनांक 5-7-03 द्वारा प्रकरण संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप निगरानी के अधिकार कलेक्टर को आ जाने के कारण कलेक्टर, विदिशा को वापिस अंतरित किया ।

इसी दरम्यान ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार को यह ज्ञापन दिए जाने पर कि प्रश्नाधीन भूमि जो तालाब है तथा आवेदकों के नाम पर दर्ज है, उसके स्थान पर उन्हें अन्य शासकीय भूमि दी जाये । जांच उपरांत तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रकरण कलेक्टर, विदिशा को भूमि विनिमय हेतु प्रेषित किया । जांच उपरांत कलेक्टर, विदिशा ने प्र0क्र0 64/अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 27-10-05 के द्वारा प्रश्नाधीन मानसरोबर तालाब के भूमिस्वामियों को अन्य शासकीय भूमि बदले में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

अपर आयुक्त न्यायालय से दिनांक 5-7-03 को प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने भूमि विनिमय के आदेश को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 04-04-06 द्वारा दिनांक 30-6-51 को जमींदार द्वारा जारी पट्टे को फर्जी एवं अवैधानिक मानते हुए तथा उसके आधार पर संवत 2013 में पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन तालाब पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज प्रविष्टि को निरस्त करने के आदेश दिए एवं प्रश्नाधीन भूमि

को पूर्ववत तालाब के रूप में यथावत रखने के आदेश देते हुए राज्य शासन में वेष्ठित करने के आदेश दिए । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मोखिक तक लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1951 में जमींदार द्वारा आवेदकगण/उनके पूर्वाधिकारियों को दिया गया था तथा उक्त पट्टे के आधार पर प्रश्नाधीन तालाब की भूमि पर पटवारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप संवत 2013 वर्ष 1956 में अर्थात संहिता के लागू होने के पूर्व से की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी की प्रविष्टि दर्ज करने संबंधी वर्ष 1956 के 23 वर्ष उपरांत वर्ष 1979 में दिया गया । प्रतिवेदन देने के 4 वर्ष उपरांत कार्यवाही वर्ष 1983 में संस्थित की गई तथा आदेश वर्ष 2006 में अर्थात प्रतिवेदन देने के 31 वर्ष उपरांत पारित किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत 1969 एस.सी. 1297 जिसमें 3 माह तथा 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स नोट-26 पृष्ठ 37 में एक वर्ष के विलंब को स्वमेव निगरानी के लिए अत्याधिक माना गया है । उक्त न्यायदृष्टांतों के अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ के निर्णय न्यायदृष्टांत 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 जिसमें 180 दिन की अवधि के उपरांत स्वमेव निगरानी की कार्यवाही अवैध ठहराया गया है का उल्लेख किया गया है उक्त न्यायदृष्टांतों के अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल के अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है, जिसमें इसी प्रकार की व्यवस्था दी गई है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अपर कलेक्टर ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के बदले में शासन द्वारा आवेदक को दूसरे ग्राम की भूमि ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर दी गई है । उक्त विनिमय के संबंध में जो आक्षेप अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में लगाए हैं वे अभिलेख पर आधारित न होकर त्रुटि पूर्ण हैं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में मुख्य वैधानिक बिंदु अत्याधिक विलंब से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पूर्वाधिकारियों की भूमिस्वामी के रूप में की गई प्रविष्टि को स्वमेव निगरानी में लेकर पुनर्विचार किए जाने से संबंधित है । आवेदकगण द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतया मान्य किया गया है कि जहां विधि में स्वमेव निगरानी में प्रकरण को लिए जाने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित न हो उन प्रकरणों में भी न्यायिक मामलों में पुनर्विचार एक औचित्यपूर्ण समय में ही किया जा सकता है । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वर्ष 1956 में की भूमिस्वामी के रूप में की गई प्रविष्टियों को स्वमेव निगरानी में लेने का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने 1979 में अर्थात 23 वर्ष उपरांत दिया गया । प्रतिवेदन देने के 4 वर्ष उपरांत कलेक्टर द्वारा वर्ष 1983 में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ की गई जो स्पष्टतया अत्याधिक है तथका स्वमेव निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ करने के 31 वर्ष उपरांत वर्ष 2006 में आदेश पारित किया गया है । अतः इस प्रकरण में की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 1969 एस.सी. 1297, 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स नोट-26 एवं न्यायदृष्टांत 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 अवलोकनीय हैं । न्यायदृष्टांत 1969 एस.सी. 1297 में 3 माह तथा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है -

> " म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की 20 धारा - 50 पुनरीक्षण प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां - प्रयोग में लाना - पुनरीक्षणीय प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाये जाने के लिए विधान में कोई निहिचत समय सीमा तय नहीं की गई है, केवल इसलिए किसी भी समय इस शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पुनरीक्षणीय प्राधिकारी को असीमित अधिकार प्रदत्त नहीं होगा । "
>
> " म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (1959 की 20), धारा - 50 पुनरीक्षणीय प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां - स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी

आदेश पारित किए जाने से पहले जिस व्यक्ति के लिए ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लाया जाना हो उस पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का भी विचार किया जाना चाहिए ।"

" म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (1959 की 20), अध्याय -V धारा - 50 - स्वप्रेरणा की शक्तियां - ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध स्वप्रेरणा की शक्ति को प्रयोग में लाना जिसे अपूरणीय हानि नहीं हुई है - आदेश/कार्यवाहियों में अवैधता, अनुचितता अथवा अनियमितता का पता चलने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि, सरकारी भूमि अथवा लोक हित के संरक्षण के लिए पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए युक्तियुक्त अवधि होगी ।"

इसी प्रकार की व्यवस्था आवेदक की ओर से उद्धरित अन्य नयायदृष्टांतों में दी गई है । उपरोक्त न्यायदृष्टांतों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाना स्पष्टतया अर्थहीन एवं अनौचित्यपूर्ण हो जाता है । अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार न कर आदेश पारित करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है ।

6/ अभिलेख में तहसीलदार, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 158/13 में पारित आदेश दिनांक 14-10-54 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति संलग्न है । जिसके अनुसार जमींदार हरीसिंह द्वारा दिनांक 30-6-51 को दिए गए पट्टों का पटवारी अभिलेख में इन्द्राज न होने से रिकार्ड दुरस्त करने का आवेदन दिया गया था जो आवश्यक निर्देशों के साथ समाप्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध जमींदार हरीसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 156/56 पेश की गई उक्त प्रकरण में पारित आदेश की प्रति भी अभिलेख में संलग्न है, इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-4-56 को आदेश पारित करते हुए यह ठहराया गया कि जमींदारी समाप्ति दिनांक 2-10-51 को हुई और उक्त पट्टे जमींदारी समाप्ति के पूर्व के हैं अतः जमींदार को पट्टा देने का हक था और उक्त आधार पर उन्होंने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार किया है तथा यह निर्देश दिए हैं कि गिरदावर की रिर्पोट के अनुसार संबंधित कृषकों का मौके अनुसार कागजात पटवारी में इन्द्राज कराया जाये । इन आदेशों से आवेदकगण के इस तर्क को बल मिलता है कि पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उनके पूर्वाधिकारियों के नाम की भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्टि फर्जी एवं अवैधानिक पट्टे के आधार पर पटवारी द्वारा नहीं की गई है अपितु अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश के पालन में की गई थी, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक और विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

7/ इस प्रकरण में यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वमेव निगरानी प्रकरण के विचाराधीन रहते ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के बदले आवेदकों को अन्य भूमि दिए जाने की मांग की गई थी, पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर, विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 64/अ-19/02-03 में पारित आदेश दिनांक 27-10-05 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को आवेदकगण के निजी स्वामित्व की मानकर इस निजी भूमि को तालाब के लिए जनहित में शासन पक्ष में लिया गया है और इसके बदले में आवेदकों को दूसरी भूमि दी गई है । भूमि के विनिमय की कार्यवाही ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की अनुशंसा के आधार पर सभी राजस्व अधिकारियों एवं जिलाध्यक्ष की जानकारी में हुई है । अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । विनियम के उक्त आदेश के संबंध में अपर कलेक्टर का यह कहना कि विनिमय का आदेश कलेक्टर को अंधकार में रखकर पारित कराया गया है तथा वर्तमान प्रकरण को निरस्त कराने का दूषित प्रयास किया गया है, अनौचित्यपूर्ण है और उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण कमांक 354/स्वमेव निगरानी/94-95 में पारित आदेश दिनांक 04-04-06 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर